न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **09/2024** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2024/10

गणेशलाल पिता मनरूप मेघवाल निवासीः मेघवालों का बडवा सादडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राज.

..........अपीलान्ट

बनाम

1. उदयलाल मेघवाल पिता भज्जा जी मेघवाल निवासीः मेघवाल बस्ती, कामा, तहसील–खमनोर, जिला–राजसमन्द, राज.
2. सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला–उदयपुर

..........विपक्षीगण

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार बड़गांव, दिनांक 23.06.2018 नामांतरकरण संख्या 2325

उपस्थितः
1. श्री झालम सिंह मौजावत, अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री अनिल नागदा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 23/06/2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बड़गांव, दिनांक 23.06.2018 नामांतरकरण संख्या 2325, अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट व अन्य व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि मौजा बड़गांव, पटवार क्षेत्र बड़गांव, तहसील बड़गांव के आराजी संख्या 846 रकबा 0.1900 हैक्टेयर में अपीलाण्ट का 223/1900 वां हक व हिस्सा निहित है। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 13.10.2016 को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में से 0.0075 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की। विक्रय पत्र नामांतरकरण हेतु पटवार हल्का बड़गांव में पेश किया गया जिस नामांतरकरण संख्या 2325 ग्राम बड़गांव खोला जाकर दिनांक 23.06.2018 को तहसीलदार बड़गांव द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलाण्ट की सम्पूर्ण 223/1900 वां हक व हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम चढ़ा दी गई। अपीलाण्ट द्वारा एक अन्य विक्रय पत्र निष्पादित किया गया तो नामांतरकरण किये जाने हेतु प्रस्तुत होने पर पता चला कि पटवारी द्वारा त्रुटिवश सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेंट के

जिला कल...
उदयपुर

नाम चढ गया है तत्पश्चात् दिनांक 29.01.2024 को नामांतकरण की प्रतिलिपि लेने पर इस त्रुटि का पता चला। अतः निवेदन है कि अंपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 2325 दिनांक 26.06.2018 राजस्व ग्राम बड़गांव को निरस्त फरमाया जाकर पुनः खोलने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट व अन्य व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि मौजा बड़गांव, पटवार क्षेत्र बड़गांव, तहसील बड़गांव के आराजी संख्या 846 रकबा 0.1900 हैक्टेयर में अपीलाण्ट का 223 / 1900 वां हक व हिस्सा निहित है। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 13.10.2016 को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में से 0.0075 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की। विक्रय पत्र नामांतरकरण हेतु पटवार हल्का बड़गांव में पेश क़िया गया जिस नामांतरकरण संख्या 2325 ग्राम बड़गांव खोला जाकर दिनांक 23.06.2018 को तहसीलदार बड़गांव द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलाण्ट की सम्पूर्ण 223 / 1900 वां हक व हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम चढ़ा दी गई। अपीलाण्ट द्वारा एक अन्य विक्रय पत्र निष्पादित हेतु नामांतरकरण प्रस्तुत करने पर पता चला कि पटवारी द्वारा त्रुटिवश सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेंट के नाम चढा दिया है तत्पश्चात् दिनांक 29.01.2024 को नामांतकरण की प्रतिलिपि लेने पर इस त्रुटि का पता चला। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 2325 दिनांक 26.06.2018 राजस्व ग्राम बड़गांव को निरस्त फरमाया जाकर पुनः खोलने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी संख्या 846 रकबा 0.1900 हैक्टेयर में से अपीलाण्ट द्वारा उसके 223 / 1900 हिस्से में से 0.0075 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 को विक्रय किया गया। अधीनस्थ तहसीलदार बड़गांव द्वारा नामांतरकरण संख्या 2325 दिनांक 23.06.2018 खोलते समय अपीलाण्ट के सम्पूर्ण 223 / 1900 वें हिस्से को त्रुटिवश रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दिया। यदि अपीलाण्ट के 223 / 1900 वें हिस्से में से 0.0075 हैक्टेयर भूमि कम करते हुए विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 09/2024 अपील राजस्व
गणेशलाल बनाम उदयपलाल
GCMS No. 2024/10

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा अपने 223/1900 वें हिस्से में से 0.0075 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 को जरिये रंजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गई है। अपीलाण्ट के 223/1900 वें हिस्से की विक्रय के उपरांत शेष बची भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा भी रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो गया है। मुताबिक विक्रय पत्र रेस्पोडेण्ट के नाम 223/1900 मे से 0.0075 हे. हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

प्रकरण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बड़गांव की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार बड़गांव की रिपोर्ट अनुसार **"नामान्तरकरण संख्या 2325 दिनांक 23.06.2018 द्वारा उक्त विक्रित भूमि का 223/1900 मे से 0.0075 हिस्सा नही दर्ज किया जाकर क्रेता उदयलाल पिता भज्जा मेघवाल निवासी मेघवाल बस्ती, कामा राजसमन्द (राज.) के नाम सम्पूर्ण हिस्सा 223/1900 दर्ज कर दिया गया है जो त्रुटिवश दर्ज हुआ है। मुताबिक विक्रय पत्र के 223/1900 मे से 0.0075 हेक्टेयर का हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है जबकि वर्तमान में क्रेता के नाम सम्पूर्ण हिस्सा 223/1900 हिस्सा दर्ज है।"** संलग्न विक्रय पत्र एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारगर्भित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बड़गांव को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह विक्रय पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जांच करते हुए नियमानुसार नामान्तरकण की कार्यवाही करे। साथ ही उक्त प्रकरण के तथ्यों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन छोटे-छोटे भूखण्ड बनाकर अकृषि उपयोग हेतु विक्रय किया जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के purview में आता है। अतः तहसीलदार बड़गांव 15 दिवस में वादग्रस्त (अपीलाधीन आराजी) की जांच करे एवं यदि आवश्यकता हो तो नियमानुसार धारा 177 (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग) में प्रकरण तैयार कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बड़गांव एवं तहसीलदार बड़गांव को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर